निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 31 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर के माह 04/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 19/07/2018से 28/07/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई द्वारा माह 04/2015 से आहरण वितरण कार्य प्रारम्भ किया गया, तत्पश्चात यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015से 06/2018तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** गन्ना विकास कार्यो का क्रियान्वयन एवं उत्तम गुणवत्ता युक्त चीनी का कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन जनपद-उधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	226.15	224.89	27.00	49.54	-	-
2016-17	-	-	95.15	90.32	11.00	11.20	-	-
2017-18	-	-	191.86	189.18	11.00	11.00	-	-
2018-19	-	-	151.80	136.39	-	-	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत ` (लाख)
2013-14	RKVY	-	109.04	82.01		27.02
2014-15	RKVY	27.02	40.14	42.00		25.16
	NFSM	-	15.60	15.60	-	-
2015-16	RKVY	25.16	-	22.54	-	2.62
	NFSM	-	27.00	27.00	-	-
2016-17	RKVY	2.62	-	0.20		2.42 (surrender)
	NFSM	-	11.00	11.00	-	-
2017-18	NFSM	-	11.00	11.00	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'ए'** श्रेणी की है।विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

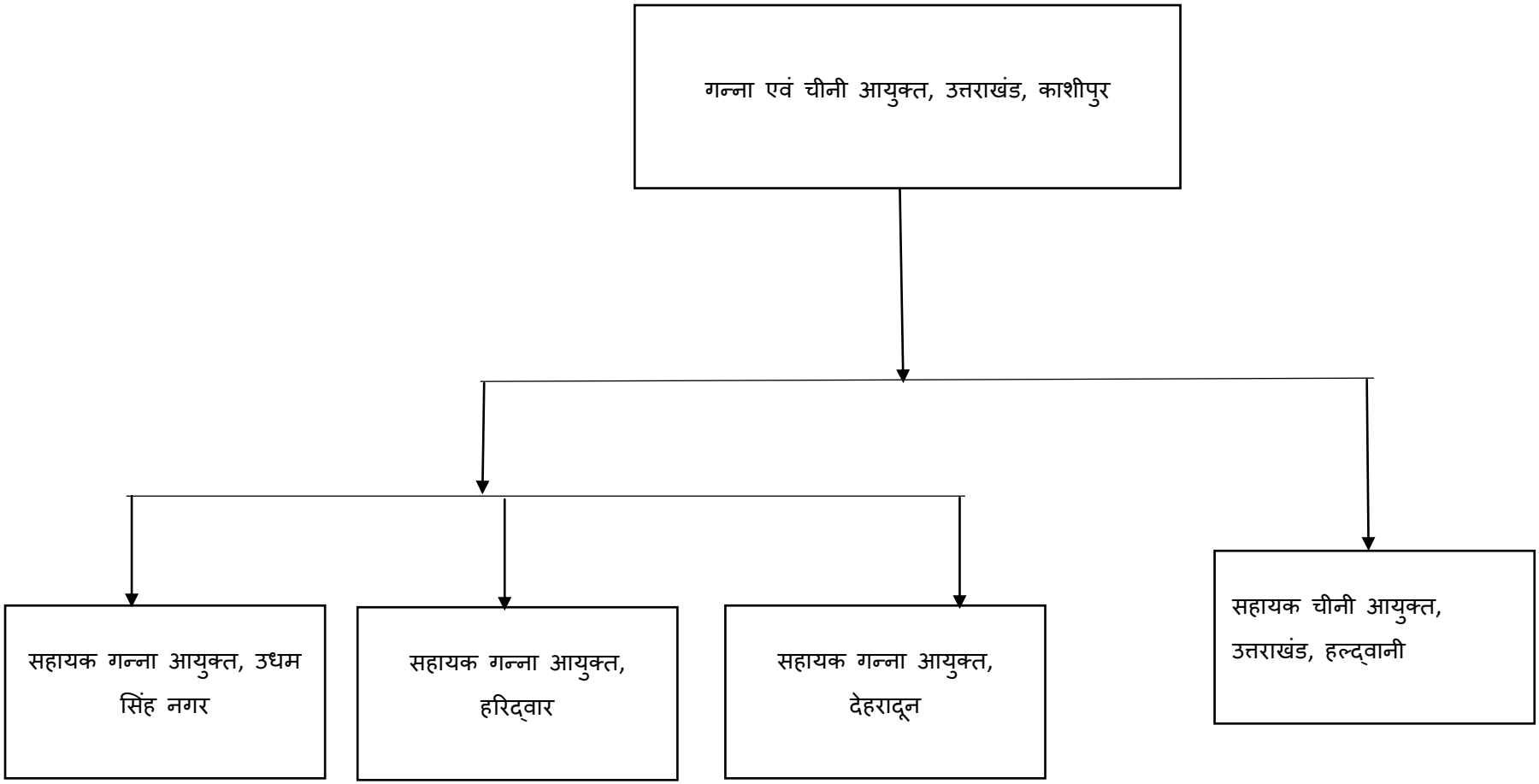
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखंड, काशीपुर
सहायक गन्ना आयुक्त, उधम सिंह नगर
सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार
सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून
सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखंड, हल्द्वानी

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018 एवं 07/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'अ'

प्रस्तर 1–वर्ष 2001–02 से 2015–16 तक चीनी मिलों को प्रदान किये गये ऋण की ब्याज सहित धनराशि रू0 1050.80 करोड़ की वसूली लम्बित रहना।

सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु धनराशि समय–समय पर ऋण के रूप में दिये जाने की स्वीकृति शर्तो के अधीन उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान की गयी थी। ऋण पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय था, जिसकी ब्याज सहित अदायगी आगामी पॉच वर्षो में वार्षिक किश्तों में की जानी थी। गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड, काशीपुर को अधिकृत किया गया था कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–1 के पैरा 223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर से बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर धनराशि को राजकोष से आहरित कर सार्वजनिक तथा सहकारी चीनी मिलों को उपलब्ध करायें।

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त–उत्तराखण्ड, काशीपुर (उधमसिंह नगर) के अभिलेखों की नमूना जांच (07/2018)में पाया गया कि उत्तरांचल राज्य गठन (2000–01) के उपरान्त से वर्ष 2015–16 तक ब्याज सहित रू0 1050.80 करोड़ शासन का चीनी मिलों में किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु ऋण के रूप में प्रदत्त धनराशि लम्बित थी। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् था :–

Financial Year	Amount of Loan	Amount of Loan Deposit	Interest	Interest Deposit	Outstanding Balance
2001-02	400.00	0.00	427.86	0.00	827.86
2002-03	1000.00	250.00	0.00	0.00	750.00
2003-04	8684.01	1184.00	15448.33	2200.83	20747.51
2004-05	3594.00	0.00	0.00	0.00	3594.00
2005-06	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	7199.58	700.18	7807.68	826.34	13480.74
2008-09	5612.32	703.65	4885.91	557.00	9237.58
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	4019.32	941.50	1422.42	412.52	4182.72
2012-13	13683.00	2461.47	2715.88	684.60	13252.81
2013-14	19953.29	3480.11	2289.10	399.63	18362.65
2014-15	12818.02	0.00	1185.67	0.00	14003.69
2015-16	6540.00	0.00	0.00	0.00	6540.00
Grand Total	**83603.54**	**9720.91**	**36182.85**	**5080.92**	**105079.56**

उल्लेखनीय है कि चीनी मिलों द्वारा लिये गये उक्त ऋण की धनराशि एवं उस पर देय ब्याज (18 प्रतिशत की दर) की अदायगी ऋण प्राप्ति वर्ष के आगामी 5 वर्षो में वार्षिक किश्तों में की जानी थी, परन्तु सम्प्रेक्षा तिथि तक चीनी मिलो द्वारा लिये गये उक्त ऋण की धनराशि रू0 1050.80 करोड़ (ब्याज सहित) की अदायगी नही की गयी थी ।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि ऋण की वापसी रू0 94. 71 करोड़ बाजपुर शुगर मिल से प्राप्त हुई, चीनी मिल किच्छा द्वारा ऋण की अदायगी नही की गयी है, चीनी मिल किच्छा को मण्डी परिषद उत्तराखण्ड से अंकन रू0 10.00 करोड़ प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध रू0 2.50 करोड़ की ऋण अदायगी हुयी है। राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को घाटे से उबारने हेतु चीनी मिलों में सहविद्युत उत्पादन इकाई स्थापित किये जाने हेतु कार्ययोजना उत्तराखण्ड शुगर्स के स्तर पर तैयार है जिस हेतु यू0जे0वी0एन0 के साथ सहमति प्राप्त हो चुकी है कार्य हेतु टेण्डर सम्बन्धी प्रक्रिया शासन स्तर पर लम्बित है। इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योकि सम्प्रेक्षा तिथि तक चीनी मिलो को वर्ष 2001–02 से 2015–16 तक की अवधि में चीनी मिलो द्वारा लिये गये उक्त ऋण की धनराशि रू0 1050.80 करोड़ (ब्याज सहित) की वसूली नही की गयी थी और न ही ऋण की वसूली के सन्दर्भ में विभाग द्वारा कोई ठोस कदम उठाये गये।

अतः वर्ष 2001–02 से 2015–16 तक चीनी मिलों को प्रदान किये गये ऋण की ब्याज सहित धनराशि रू0 1050.80 करोड़ की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(अ)

प्रस्तर:2- गन्ना विकास कमीशन के रूप मे सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को प्राप्त होने वाली धनराशि ` 5551.12 लाख शासन स्तर एवं चीनी मिलों के स्तर पर लम्बित रहना एवं जिसके परिणाम स्वरूप विकास कार्य लम्बित रहना।

उत्तर प्रदेश के UP Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act 1954 को उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य के पुनर्गठन के बाद राज्य मे लागू किया गया। एक्ट के पैरा 49 के अनुसार गन्ने खरीदने वाली फ़ैक्टरी से भारत सरकार द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य की धनराशि का 3% कमीशन सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को दिया जाने का प्रविधान किया गया हैं। जिसका 75% सहकारी गन्ना विकास समितियों को एवं 25% गन्ना विकास परिषदों को दिया जाना हैं।

फ़ैक्टरी द्वारा उक्त दिये गए 3% कमीशन से ही सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों अपने कर्मचारियो/अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं क्षेत्र के विकास के कार्य किए जाने होते हैं।

एक्ट के अनुसार सहकारी गन्ना विकास समितियों के मुख्य निम्न कार्य हैं।

1. गन्ने की उपज मे वृद्धि हेतु केंद्र/ राज्य सरकार एवं उच्च स्तर से बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन कराना।
2. सदस्यों के गन्ने की उपज का लाभ जनक मूल्य पर क्रय/विक्रय कराना तथा शीघ्र चीनी मिल को पूर्ति कराने का प्रबंध करना एवं उसका मूल्य भुगतान सुनिश्चित करना।
3. गन्ने के उत्तम बीज, खाद तथा उर्वरक, कीटनाशक रसायन कृषि यंत्र आदि कृषि निवेशों को सदस्यों को ऋण मे उपलब्ध कराना।
4. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूंजी का प्रबंधन करना।

इसी प्रकार गन्ना विकास परिषदों के मुख्य निम्न कार्य हैं-

1. गन्ना परिषद क्षेत्र के गन्ना विकास कार्यक्रम तय करना।
2. गन्ना बीज, प्रजाति, गन्ना बुवाई कार्यक्रम, खाद, उर्वरक एवं कृषि निवेशों का प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. सिंचाई एवं कृषि सुविधाओं को सुनिश्चित कराना।
4. राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

कार्यालय के प्रस्तुत अभिलेखों मे यह पाया गया हैं कि राज्य की 14 सहकारी गन्ना विकास समितियों मे कार्यरत कार्मिको एवं सेवानिवृत कार्मिको का वेतन भुगतान एक से सोलह माह तक धनराशि `2773.36 लाख वेतन एवं अन्य भत्ते अभी भी लंबित हैं।

आगे अभिलेखों मे पाया गया हैं कि शासन स्तर से पेराई सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 मे चीनी मिलों को गन्ना विकास कमीशन के भुगतान मे छूट प्रदान करते हुए सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं परिषदों के कार्यकलापों हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था। शासन स्तर से इन तीन वर्षों मे से केवल 2013-14 मे सम्पूर्ण कमीशन की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। जबकि पेराई सत्र 2014-15 मे `592.12 लाख एवं पेराई सत्र 2015-16 मे `833.40 धनराशि शासन द्वारा लेखा परीक्षा तिथि तक भुगतान नही की गयी है। इस प्रकार 2014-15 एवं 2015-16 मे कुल `1425.52 लाख कमीशन की धनराशि शासन स्तर पर लंबित हैं। इसके अलावा 2002-03 से 2017-18 (उक्त तीन वर्षो को छोड़कर) तक राज्य की 14 सहकारी गन्ना विकास समितियों का राज्य की **चीनी मिलों** द्वारा प्रदान किए जाने वाले 3% कमीशन के रूप मे `4125.60 लाख का गन्ना विकास कमीशन लेखा परीक्षा तिथि तक शेष हैं।

इस प्रकार वर्ष 2002-03 से 2017-18 तक गन्ना विकास कमीशन के रूप मे सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदोंको प्राप्त होने वाली कुल धनराशि `5551.12 लाख शासन स्तर एवं चीनी मिलों के स्तर पर लंबित हैं।

आगे अभिलेखो की जांच मे यह भी पाया गया था कि परिषदों को समुचित मात्रा मे गन्ना विकास कमीशन प्राप्त न होने से धनाभाव के कारण वर्ष 2008-09 मे राज्य मे गन्ने का कुल पेराई क्षेत्रफल 107251 हे0 से घटकर वर्ष 2017-18 मे 86053 हे0 रह गया। अत: एक दशक मे पेराई क्षेत्रफल मे 21198 हे0 की कमी आ गयी।

गन्ना विभाग एवं चीनी उद्योगको सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों का एक महत्वपूर्ण रोल होता हैं परंतु शासन की शिथिलता एवं चीनी मिलो पर सही नियंत्रण न होने के कारण सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के कार्मिको को मानसिक प्रताड़न झेलना पड़ रहा हैं एवं जैसा कि मुख्यालय द्वारा सचिव, उत्तराखंड को भेजे अपने विभिन्न पत्रो मे लिखा गया हैं, कि कमीशन की धनराशि न मिलने के कारण कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, कम्प्युटर, विद्युत बिल, जाकर, भवन किराया तथा अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य एवं निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं जिसके फलस्वरूप सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों का अस्तित्व कुप्रभावित हो रहे हैं। एवं गन्ना विकास परिषदों मे जिला योजना के

अंतर्गत जो सड़के निर्माण कार्य कराये जाते हैं उसमे 25% मेचिंग ग्रांट के रूप मे गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से दिया जाता हैं। का कार्य भी नही हो रहा हैं।
उक्त के अलावा यह देखा गया हैं कि एक्ट के अनुसार गन्ने के उत्पादक कृषक गन्ने को फैकटरी के अलावा किसी अन्य को नही बेच सकता हैं और न ही किसी अन्य राज्य को बेच सकता हैं। इस संबंध मे अभिलेखो मे पाया गया हैं कि वर्ष 2016-17 मे 182042 कृषकों द्वारा गन्ने की फसल उगाई गई थी जबकि केवल 104794 किसानो द्वारा ही चीनी मिलो तक गन्ने की आपूर्ति की गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया हैं कि विभाग द्वारा कमीशन प्राप्त करने के संबंध मे पत्राचार किया जा रहा हैं। चीनी मिलों द्वारा अपनी आर्थिकीय का उल्लेख करते हुए कमीशन का भुगतान नही किया गया। चीनी मिलो द्वारा कमीशन न दिये जाने के कारण कार्मिकों के वेतन का भुगतान नही हो पा रहा हैं। गन्ना विकास परिषदों द्वारा किए जा रहे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विभागान्तर्गत परिषको से प्राप्त होने वाली 25% मेचिंग ग्रान्ट प्राप्त न होने, अनुरूप शासकीय धनराशि का प्राविधान नही किया जा सका हैं जिससे विभागान्तर्गत संचालित अंतर ग्रामीण सड़क निर्माण योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के वेतन हेतु सेंटज की धनराशि अर्जित नही हो पा रही हैं। कार्यालय के उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता हैं।

अत: वर्ष 2002-03 से 2017-18 तक गन्ना विकास कमीशन के रूप मे सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदोंको प्राप्त होने वाली कुल धनराशि `5551.12 लाख शासन स्तर एवं चीनी मिलों के स्तर पर लम्बित रहने एवं जिसके परिणाम स्वरूप विकास कार्य लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1–शक्कर विशेष निधि की धनराशि रू0 565.27 लाख पी0एल0ए0 में अवशेष/अवरूद्ध रहना।

उत्तराखण्ड गन्ना क्रयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3(10) व 3(10–ए) के अन्तर्गत चीनी मिलों से विगत वित्तीय वर्ष में वसूल गन्ना क्रयकर की धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि तथा खाण्डसारी इकाईयों से विगत वित्तीय वर्ष में वसूल धनराशि के सापेक्ष 50 पैसा प्रति कुन्तल की दर से अधिक की क्रयकर की धनराशि का आधा भाग शक्कर विशेष निधि में स्थानान्तरित किया जाना था। उत्तराखण्ड गन्ना क्रयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3(10) व 3(10–ए) में प्राविधान था कि :–

3(10) " At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to fifty per cent of the proceeds of the tax levied under clause (a) of sub-section (1) recovered by it during the preceeding financial year.

3(10-A) " At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to one-half of the proceeds of the tax levied under clause (b) of sub-section (1), to the extent that the rate of tax exceeds fifty paise per quintal of sugarcane, recovered by it during the preceeding financial year, and place it to the credit of the Fund mentioned in Clause (a) of sub-section (10);

उत्तराखण्ड गन्ना क्रयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3(10) के प्राविधानों के अनुसार शक्कर विशेष निधि का –**(1)** गन्ना शोध एवं विकास हेतु, 36 प्रतिशत, **(2)** चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु 24 प्रतिशत, **(3)** चीनी मिलो को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु ऋण सहायता के रूप में 30 प्रतिशत तथा **(4)** कल्याण निधि हेतु, 10 प्रतिशत उपयोग किया जाना था।

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड काशीहपुर के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 तक शक्कर निधि की देय निधियों में से शासन द्वारा रू0 1496.32 लाख अभी तक लम्बित था। विवरण निम्न हैः–

(` लाख में)

धनराशि के अन्तरण का विवरण			शक्कर विशेष निधि (पी.एल.ए.) में अन्तरण से प्राप्त धनराशि से पोषित संस्थाओं का अनुपातिक विवरण												पी .एल. एं. खाते में अवशेष धनराशि
शक्कर विशेष निधि में अन्तरण हेतु वाजिब धनराशि	शक्कर विशेष निधि में अन्तरण उपरान्त प्राप्त धनराशि	शक्कर विशेष निधि में अन्तरण हेतु अवशेष धनराशि	गन्ना शोध एवं विकास हेतु 36 प्रतिशत			चीनी मिलो के आधुनिकीकरण हेतु 24 प्रतिशत			चीन मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण सहायता 30 प्रतिशत			कल्याण निधि 10 प्रतिशत			
			प्राप्त	व्यय	अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष	
5382.26	3885.94	1496.32	1477.10	1314.76	162.34	903.40	903.19	0.21	1129.24	1087.72	41.52	376.20	15.00	361.20	565.27

आगे सम्प्रेक्षा में पाया गया कि :–

- शक्कर विशेष निधि में प्राप्त धनराशि में गन्ना शोध एवं विकास हेतु 36 प्रतिशत प्राविधान था।शोध एवं विकास कार्यमद में विभाग द्वारा कोई कार्य नही किया गया एवं शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना नही की गयी। शोध का कार्य पन्तनगर विश्वविद्यालय के माध्यम से वर्ष 2007 तक रू0 10.00 लाख का भुगतान कर कराया गया उसके उपरान्त विश्वविद्यालय से भी गन्ना शोध का कार्य नही कराया गया।
- शक्कर विशेष निधि में प्राप्त धनराशि में कल्याण निधि हेतु 10 प्रतिशतप्राविधान था। जिसके तहत वर्ष 2001–02 से वर्ष 2017–18 तक कुल रू0376.20लाख कल्याण निधि में प्राप्त हुये थे। उक्त निधि में से मात्र एक बार ही मार्च 2013 में रू0 15.00 लाख में चीनी मिल सितारगंज के श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए एक 40 सीटर बस क्रय करने हेतु व्यय किया गया। लेबर वेलफेयर डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार General Welfare सम्बन्धित कार्यमदों को कल्याण निधि से चीनी उद्योग में कार्यरत श्रमिको के उत्थान के लिये स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा उपचार, श्रमिको के बच्चों की शिक्षा एवं जीवन यापन में पोषण सहित सुधार आदि कार्य को किया जाना था परन्तु कल्याण निधि से श्रमिको के कल्याण के लिये कोई भी कार्य नही किया गया, कल्याण निधि में कुल रू0 361.20 लाख की धनराशि उपलब्ध थी। लेबर वेलफेयर डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार General Welfare के तहत (1). the improvement of health and sanitation, the prevention of disease,the provision of medical facilities maternity and the improvement of existing medical facilities, including the provision and maintenance of dispensary services in sugar and power alcohol factories. 2. the

provision and improvement of educational facilitees including libraries, reading rooms etc. 3. the improvement of the standard of living, including nutrition amelioration or social condition etc.कार्य कराये जाने थे।

आगे सम्प्रेक्षा में पाया गया कि भारत सरकार के 101वें संविधान संशोधन द्वारा केन्द्र एवं राज्यों मे वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) प्रभावी किया गया, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में चीनी मिलों पर गन्ना क्रयकर के करारोपण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड गन्ना क्रयकर अधिनियम 1961 एवं उत्तराखण्ड गन्ना क्रयकर नियमावली 1961 मे व्यवस्था प्राविधानित थी। तदानुक्रम मे भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) प्रभावी किये जाने के उपरान्त विभागीय अधिनियमों एवं नियमावलियों में वर्णित करारोपण की व्यवस्था प्रभावी नही रही। इस प्रकार गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन से अनुरोध किया गया कि राज्यों की चीनी मिलों की चीनी बिक्री से प्राप्त होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) से राज्य को प्राप्त होने वाली धनराशि में से राजकीय बजट के अन्तर्गत एक नवीन लेखाशीर्षक गन्ना शोध विकास एवं प्रशिक्षण के नाम से सृजित करने हेतु अनुरोध किया गया जिससे गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर तथा सांख्यिकी परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के वेतन व स्थापन सम्बन्धी व्ययों का संचालन किया जा सके। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या –17 के तहत लेखाशीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म के लिये कर्म00–108– वाणिज्यिक फसलें12–गन्ना विकास/प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कार्मिको का वेतन00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायताआबंटित किया गया।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि राज्य गठन उपरान्त गन्ना शोध केन्द्र, काशीपुर को शासनादेश दि0 26.08.2002 द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर को हस्तान्तरित करते हुये केन्द्र के समस्त कार्मिको/वैज्ञानिकों पर प्रशासकीय एवं तकनीकी नियन्त्रण पन्तनगर विश्वविद्यालय का है। उक्त केन्द्र की बजट व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है तथा विश्वविद्यालय द्वारा ही शोध कार्य कराये जा रहे है, इस प्रकार वर्तमान में शोध कार्यो में विभागीय प्रशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय का ही है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक शक्कर विशेष निधि से गन्ना शोध केन्द्र हेतु कोई धनराशि आवंटित नही की गयी है, शोध हेतु धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि शक्कर विशेष निधि में प्राप्त धनराशि में से गन्ना शोध एवं विकास हेतु 36 प्रतिशत प्राविधान था, शक्कर विशेष निधि में प्राप्त धनराशि में कल्याण निधि हेतु 10 प्रतिशतप्राविधान था जिसके तहत वर्ष 2001–02 से वर्ष 2017–18 तक कुल रू0376.20लाख कल्याण निधि में प्राप्त हुयी थी जिसमें से मात्र एक बार ही मार्च 2013 में रू0 15.00 लाख में चीनी मिल सितारगंज के श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए एक 40 सीटर बस क्रय करने हेतु व्यय किया गया जबकि लेबर वेलफेयर डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार General Welfare सम्बन्धित कार्यमदों को कल्याण निधि से चीनी उद्योग में कार्यरत श्रमिको के उत्थान के लिये स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा उपचार, श्रमिको के बच्चों की शिक्षा एवं जीवन यापन में पोषण सहित सुधार आदि कार्य को किया जाना था जिन्हें नही किया गया जबकि कल्याण निधि में रू0 361.20 लाख की धनराशि उपलब्ध थी जिसे व्यय न करते हुये पी0एल0ए0 खाते में अवरूद्ध रखा गया।

अतः शक्कर विशेष निधि की धनराशि रू0 565.27 लाख पी0एल0ए0 में अवशेष/अवरूद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-1 शासन को `12.63लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र नही भेजा जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक- 672(1)/XIV-2/2016/1 (14)/2016 दिनांक-20 जून 2017 के द्वारा अंतरग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत सेवानिवृत/ मृत कार्मिकों के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु राज्य आकस्मिक निधि से `12,63,033.00 की धनराशि स्वीकृति की गयी थी। उक्त शासनादेश के पैरा-3 के अनुसार धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराना था। तथा यह उपयोगिता प्रमाण निर्धारित प्रारूप जी0एफ0आर0-19 ए मे उपलब्ध कराया जाता हैं।

इस संबंध मे कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान अगस्त 2017 एवं अक्तूबर 2017 मे कर दिया था। परंतु करीब एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी शासन को उपयोगिता प्रमाण नही भेजा गया हैं।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र परीक्षणोंपरांत शीघ्र शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। कार्यालय का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता हैं।

अत: `12.63लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को न भेजने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या
	(ईकाई की प्रथमलेखापरीक्षा)		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

(ईकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी)

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1.कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु गन्ना एवं चीनी आयुक्त–उत्तराखण्ड, काशीपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)शून्य

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्य भार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री ललितमोहन रयाल	गन्ना एवं चीनी आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रतिगन्ना एवं चीनी आयुक्त–उत्तराखण्ड, काशीपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक–।।